अति महत्वपूर्ण/ई–मेल

संख्या–1292(1)/1–10–2017–रा0–10

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(बाढ़ प्रभावित जनपद)
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ :: दिनॉक: 25 अगस्त, 2017

विषयः–बाढ़ प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं राहत सामग्री बैग उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में शासनादेश संख्या–950, दिनॉक 21.08.2017 द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश प्रसारित करते हुए निर्धारित मानक के अनुसार खाद्यान्न राहत सामग्री युद्ध स्तर पर तैयार कराकर बाढ़ प्रभावित परिवारों को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

2– इस हेतु यह आवश्यक है कि राहत सामग्री प्रबन्धन की क्रय, पैकिंग, परिवहन तथा वितरण के संबंध में एक विस्तृत योजना तैयार कर क्रियान्वित की जाय, जिसके अंतर्गत जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों तथा अधिकारियों का उत्तरदायित्व व जॉब चार्ट निर्धारित किया जाय। उदाहरण स्वरुप खाद्यान्न के खरीद व पैकिंग में मुख्य रुप से सिविल सप्लाई, परिवहन में सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा वितरण में तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी तथा समेकित रुप से अपर जिलाधिकारी (वि/रा) एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक की भूमिका निर्धारित की जाय। वितरण का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः अभियान चलाकर निर्वाचन कार्य की भॉति मूवमेंट प्लान तथा सेक्टर प्लान बनाते हुये बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं वितरण संबंधी अभिलेख भी संचित किए जाएं।

3– यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित आपदा प्रबन्धन समूह की बैठक दिनॉक 25.08.2017 को समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जनपद बलरामपुर, कुशीनगर, बाराबंकी, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती एवं महराजगंज द्वारा नवीन मानक के अनुसार अभी तक किए गए वितरण की स्थिति निराशाजनक है। जनपदों में अपेक्षाकृत कम वितरण पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए समस्त प्रभावित परिवारों को दो दिवस के भीतर खाद्यान्न राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

4– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाढ़ प्रभावित समस्त परिवारों को शीघ्रातिशीघ्र उपर्युक्त शासनादेशानुसार खाद्यान्न एवं राहत सामग्री बैग उपलब्ध कराते हुए दिनांक 27.08.2017 तक की स्थिति की सूचना, राहत आयुक्त कार्यालय के ई–मेल rahat@nic.in पर दिनांक 27.08.2017 को सायं 05.00 बजे तक प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।

1. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवीदास)
विशेष सचिव।

All Letters- 89

Scanned by CamScanner